## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज<br>रामदेई बनाम श्रीराम<br>मु.नं.– 49/22 किस्म – Т.D. |
|---|---|
| | 04.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकरान उपस्थित। वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रा.पत्र T.D. पर बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.D. दिनांक 16.12.25 को पेश हो। [signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) |
| | 16.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा.पत्र T.D. पर बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.D. दिनांक 22.1.26 को पेश हो। [signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मंडावर (दौसा) |
| | 22.1.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.2.26 को पेश हो। [signature] |
| | 17.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र T.D. पर विद्वान अभिभाषकों उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| रामदेई बनाम आराम<br>मु.नं.– 49/22 किस्म – T.D. | |
| 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर कुल वाद के साथ नत्थी हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 49/2022 | 07.07.2022 | 17.02.2026 |

**बउनवान**

1. रामदेई पुत्री श्रीया पत्नी किशोर, निवासी पाखर प्रथम, हाल निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. यादराम पुत्र श्रीया, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
3. रत्तीराम पुत्र श्रीया, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. रामजीलाल पुत्र श्रीया, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

**..प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. आराम पुत्र छंगा, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. मोहन पुत्र छंगा, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
3. जयराम पुत्र सुकल्या, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. उपपंजीयक मण्डावर।
5. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

**..अप्रार्थीगण**

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 लगा. 03 – श्री खेमसिंह गुर्जर।

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

**1.** प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात ग्राम पाखर प्रथम तहसील मण्डावर जिला दौसा के खसरा सं. 1413, 1414, 1415, 1416, 1420, कुल किता 05, कुल रकबा 1.20 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजीयात में सायलान की माताजी रामप्यारी पत्नी श्रीया का 1/2 भाग है। इस कारण सायलान ही उसके जायज वारिस होने के कारण विवादित आराजीयात के हकदार है। खसरा सं. 1418 रकबा 0.16 हैक्टे. ग्राम पाखर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जिसमें सायलान की माताजी रामप्यारी पत्नी श्रीया का 3/16 भाग निहित है जिसके सायलान ही मालिक व हकदार है। सायलान का उक्त आराजी में उनकी माताजी के हिस्से के अनुसार ही हिस्सा है। चूंकि उनकी मृत्यु दिनांक 05.06.2022 को हो चुकी है तथा मृतक रामप्यारी पत्नी श्रीया के सायलान ही जायज वारिस है तथा उसके तरके पर काबिज है तथा जिम्मेदार नतीजा मुकदमा है तथा उसकी मृत्यु होने के बाद अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नामांतकरण भी उनके नाम नहीं खुल सका। लिहाजा सायलान उक्त आराजी जो कि मृतक रामप्यारी पत्नी श्रीया के नाम से है, उसकी घोषणा अपने नाम कराये जाने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात सायलान, गैरसायल सं. 01 लगायत 03 के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण सायलान एवं गैरसायलान के मध्य आपसी मनमुटाव तथा विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं होने के बावजूद भी गैरसायल सं. 1 व 2 द्वारा विवादित आराजी, जो कि कृषि भूमि है, उसमे बिना आबादी में संपरिवर्तन कराये ही निर्माण कार्य करना दिनांक 24.06.2022 से चालू कर नींव खुदाई शुरू कर दिया जिस पर हम सायलान को इस बात की जानकारी हुई तो हमने उक्त निर्माण कार्य नहीं करने तथा उक्त आराजी का विधिवत विभाजन कराये जाने के बाद ही निर्माण कार्य करने का गैरसायलान से निवेदन किया जिस पर वो नहीं माने तथा मनमाने रूप से निर्माण कार्य किये जाने को तत्पर है तथा उक्त आराजी का विधिक विभाजन कराये जाने को भी स्पष्ट इन्कार हो गये है। गैरसायलान द्वारा दिनांक 24.06.2022 को विवादित आराजी जो कि कृषि भूमि है, उस पर बिना विधिवत विभाजन कराये ही निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया तथा उन्होंने सायलान को धमकी दी है कि हमारे तो लट्ठ में ताकत है हम तो इसी अनुसार ही निर्माण कार्य करेंगे। यदि वो अपनी उपरोक्त धमकी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। गैरसायलान को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वो अपने गैर कानूनी कृत्य में सफल हो जायेंगे जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी सायलान के पक्ष में है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्सा व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे अपने हिस्से की आराजी को किसी भी व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल नहीं करें। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 07.07.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 के द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 के द्वारा उक्त तथ्यों का विरोध किया गया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार, विवादित आराजीयात के अप्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसके जरिये वादीगण विवादित आराजीयात में सहखातेदार रामप्यारी पत्नी श्रीया के हिस्से में से पैतृक भूमि के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजीयात पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

# आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पाखर, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, कुल किता 06, कुल रकबा 1.36 हैक्टे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 07.07.2022 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

अमित कुमार वर्मा **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमित कुमार वर्मा **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)